

126
37

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(ii)] dated 9/4 Oct, 1976

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, the 25th September, 1976.

NOTIFICATION

S.O. 3523 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 2123 dated the 29th April, 1976, namely:-

In the said notification, for the words "State Government", the words, figures and brackets "State Government, in the Union territory of Delhi or Chandigarh, as the case may be, except in relation to areas within the local limits of cantonments, if any, declared as such under section 3 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)," shall be substituted.

[No.U-11030/4/76-UTL]

H.C. Bakshi

(H.C. BAKSHI)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, NEW DELHI.

भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 25 सितम्बर, 1976.

अधिसूचना

रा.सू. 3523 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में निर्देश देते हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना एस0 ओ0 2123 तारीख 29 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, नामतः:

उक्त अधिसूचना में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार, दिल्ली अथवा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, कन्टोनमेंट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत, कोई भी हो, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो कन्टोनमेंट्स अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में ऐसे ही घोषित किए गए हैं" शब्द, आंकड़े तथा कौष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(सं0 यू0 1103014176-यू0 टी0 एल0)

हरिश चन्द्र बख्शी

(हरिश चन्द्र बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।